"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर 2016— अग्रहायण 1, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक 11149/डी. 262/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-11-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 32 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम, 2016

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र. 4) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए राज्य की संचित निधि में से 28,00,69,99,900 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2016 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार आठ सौ करोड़ उनहत्तर लाख निन्यानबे हजार नौ सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	30,00,000	0	30,00,000
03	पुलिस	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	70,00,000	0	70,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	8,00,00,000	0	8,00,00,000
10	वन	राजस्व	0	19,75,000	19,75,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,50,000	0	5,50,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,45,00,00,000	0	1,45,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	16,52,00,100	0	16,52,00,100
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,00,100	0	20,00,100
		पूंजी	100	0	100
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	100	0	100
16	मछली पालन	राजस्व	13,22,100	0	13,22,100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	25,00,000	0	25,00,000
		पूंजी	200	0	200
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	100	0	100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	28,00,00,000	0	28,00,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	1,88,20,80,000	0	1,88,20,80,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	100	0	100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,63,40,24,000	0	5,63,40,24,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	15,15,00,000	0	15,15,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,44,87,100	0	3,44,87,100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	6,48,41,85,300	0	6,48,51,85,300
		पूंजी	59,96,76,100	0	59,96,76,100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	300	0	300
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	200	0	200
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	7,00,00,000	0	7,00,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	200	0	200
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग.	राजस्व	40,00,00,100	0	40,00,00,100
		पूंजी	100	0	100
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	25,00,000	0	25,00,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,94,77,000	0	2,94,77,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	7,32,00,200	0	7,32,00,200
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	100	0	100
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	3,09,86,61,000	0	3,09,86,61,000
		पूंजी	300	0	300
65	विमानन विभाग	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण.	राजस्व	13,18,35,000	0	13,18,35,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	9,48,11,400	0	9,48,11,400
71	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.	राजस्व	100	0	100
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200
		पूंजी	40,00,00,000	0	40,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,35,95,00,100	0	2,35,95,00,100
81	नगरीय निकायों की वित्तीय सहायता	राजस्व	51,58,23,000	0	51,58,23,000
		पूंजी	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,81,20,90,100	0	2,81,20,90,100
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	5,26,00,000	0	5,26,00,000
	योग -	राजस्व	25,63,05,36,100	19,75,000	25,63,25,11,100
		पूंजी	2,37,44,88,800	0	2,37,44,88,800
	वृहद योग		28,00,50,24,900	19,75,000	28,00,69,99,900

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2016

क्रमांक 11149/डी. 262/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-11-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 32 of 2016)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2016

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2016-2017.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty- seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation (No. 4) Act, 2016.

Issue of Rs. 28,00,69,99,900 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial year 2016-2017.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2016, amounting in the aggregate to the sums of Two Thousand Eight Hundred Crore Sixty Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2016-2017 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said financial year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	30,00,000	0	30,00,000
03	Police	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
04	Other expenditure pertaining to Home Department.	Revenue	20,00,000	0	20,00,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	70,00,000	0	70,00,000
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	8,00,00,000	0	8,00,00,000
10	Forest	Revenue	0	19,75,000	19,75,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue	5,50,000	0	5,50,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	1,45,00,00,000	0	1,45,00,00,000
13	Agriculture	Revenue	16,52,00,100	0	16,52,00,100
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue Capital	20,00,100 100	0 0	20,00,100 100
15	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	100	0	100
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	13,22,100	0	13,22,100
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	3,00,00,000	0	3,00,00,000
20	Public Health Engineering	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Revenue Capital	25,00,000 200	0 0	25,00,000 200
23	Water Resources Department.	Capital	100	0	100
24	Public works-roads and bridges.	Capital	28,00,00,000	0	28,00,00,000
27	School education	Revenue	1,88,20,80,000	0	1,88,20,80,000
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	100	0	100
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	5,63,40,24,000	0	5,63,40,24,000
32	Expenditure pertaining to Public Relations Department.	Revenue	15,15,00,000	0	15,15,00,000
33	Expenditure pertaining to Tribal Welfare Department	Revenue	10,00,000	0	10,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue	3,44,87,100	0	3,44,87,100
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	6,48,51,85,300	0	6,48,51,85,300
		Capital	59,96,76,100	0	59,96,76,100
42	Public Works relating to to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges.	Capital	300	0	300
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Revenue	200	0	200
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	7,00,00,000	0	7,00,00,000
45	Minor Irrigation Works	Capital	200	0	200
46	Expenditure pertaining to Science and Technology Department.	Revenue	20,00,000	0	20,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue	40,00,00,100	0	40,00,00,100
		Capital	100	0	100
49	Expenditure pertaining to Scheduled Caste Welfare.	Revenue	25,00,000	0	25,00,000
53	Financial assistance to Urban boodies under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	2,94,77,000	0	2,94,77,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	7,32,00,200	0	7,32,00,200
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	100	0	100
64	Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	3,09,86,61,000	0	3,09,86,61,000
		Capital	300	0	300
65	Aviation Department	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
66	Welfare of Backward Classes and Minorities.	Revenue	13,18,35,000	0	13,18,35,000
67	Public Works-Buildings	Revenue Capital	100 9,48,11,400	0 0	100 9,48,11,400
71	Eletronics and Information Technology Department.	Revenue	100	0	100
79	Expenditure Pertaining to Medical Education Department.	Revenue Capital	200 40,00,00,000	0 0	200 40,00,00,000
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Instituons.	Revenue	2,35,95,00,100	0	2,35,95,00,100
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue Capital	51,58,23,000 1,00,00,00,000	0 0	51,58,23,000 1,00,00,00,000
82	Financial assistance to Threee tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	2,81,20,90,100	0	2,81,20,90,100
83	Financial assistance to urban boodies under the tribal area sub-plan.	Revenue	5,26,00,000	0	5,26,00,000
	Total-	**Revenue** **Capital**	**25,63,05,36,100** **2,37,44,88,800**	**19,75,000** **0**	**25,63,25,11,100** **2,37,44,88,800**
	Grand Total		**28,00,50,24,900**	**19,75,000**	**28,00,69,99,900**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.